वित्तीय स्वीकृति / आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर
संख्या– /XVII-3/14–07(14)/2013

प्रेषक,

सुनील श्री पांथरी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

समाज (अल्पसंख्यक) कल्याण अनुभाग–03 देहरादून दिनांक 21 जुलाई, 2014

विषय–वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक (दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक) में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सम्बन्धित अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों को निम्न विवरणानुसार (संलग्न परिशिष्ट–क) आयोजनागत पक्ष में रू0 **7.50 लाख** (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 **33.00 लाख** (रू0 तैतीस लाख मात्र) की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

मद	**आयोजनागत (लाख रू0 में)**	**आयोजनेत्तर (लाख रू0 में)**	**अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या /दिनांक**
उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड को सहायता	7.50	---	S 1404150255 दिनांक 11.04.2013
प्रान्तीय हज समिति को अनुदान	---	33.00	S 1404150253 दिनांक 11.04.2013
कुल	**7.50**	**33.00**	

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्रा[illegible] रके ही किया जाए।
3. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से **अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत/आयोजनेत्तर** शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

4. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
5. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
7. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सनिश्चित किया जाय।
9. यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
10. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अबचन मदों को आहरण–विवतरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाये कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जायेगी, न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
11. प्रश्नगत मदें यथा फर्नीचर, साज–सज्जा, उपकरण क्रय विद्युत प्रभार, स्टेशनरी/कम्प्यूटर स्टेशनरी, पैट्रोल/डीजल आदि में मितव्ययिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–38(NP)/XXVII(3)/2014-15 एवं 81(P)XXVII(3)/2014 दिनांक 16 जुलाई, 2014 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 607 /XVII-3/14-07(14)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादू।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
अनु सचिव।